



कार्यालय, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय खुरई (सागर) म.प्र.

क्रमांक/492/1/स्था./शै./2026

प्रेस विज्ञप्ति

खुरई, दिनांक 23/09/2026

महाविद्यालय में सत्र 2026-27 से प्रारंभ जनभागीदारी मद से निम्न स्नातकोत्तर नवीन पाठ्यक्रमों में स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रति व्याख्यान मानदेय आधारित अध्यापन व्यवस्था हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र.	पाठ्यक्रम विषय	आवश्यक मानदेय आधारित कर्मों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मानदेय रुपये में
1	एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	01	संबंधित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर उपाधि एवं नेट/स्लेट/पी.एचडी. (यूजीसी के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार) SC, ST, के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार 5% प्रतिशत की छूट	प्रति व्याख्यान 250/- रु. माह में अधिकतम 16500/- रुपये
2	एम.एससी. प्राणीशास्त्र	01		
3	एम.ए. अंग्रेजी साहित्य	01		

शर्तें- 01. मानदेय आधारित आवेदकों के चयन हेतु गुणानुक्रम निर्धारण में उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित योग्यता, अनुभव के अंक (शासकीय महाविद्यालयों में अध्यापन के) व आरक्षण संबंधित नियम एवं प्रक्रिया प्रयोग की जायेगी।

02. आमंत्रित आवेदकों को प्राचार्य द्वारा सौंपे गये शैक्षणिक एवं शैक्षणेतर कार्यों का संपादन करना होगा। यदि प्राचार्य/पदेन सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा उक्त चयनित आवेदकों द्वारा महाविद्यालय में आवश्यकता होने पर अपने विवेकाधिकार से कोई अध्यापन कार्य कराया जाता है तो इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा अकादमिक कलेंडर अनुसार कार्यवधि ब्रेक रहेगा।

03. आमंत्रित आवेदकों की महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति दर्ज होगी जिसके लिये महाविद्यालय में न्यूनतम दैनिक उपस्थिति 06 घंटे अनिवार्य होगी, तदनुसार ही संबंधित का मानदेय होगा।

04. उक्त व्यवस्था पूर्णतः अस्थाई है। आमंत्रित आवेदकों को किसी भी हेसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे तथा लोक सेवक विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।

05. आमंत्रित आवेदक का कार्य असंतोषजनक होने/अनुशासनहीन आचरण होने पर अथवा अन्यत्र कहीं भी नियोजित सिद्ध हो जाने पर आमंत्रण व्यवस्था बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी। इस संबंध में प्राचार्य/पदेन सचिव, जनभागीदारी समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। साथ ही आमंत्रित आवेदकों को किसी भी कारण से लगातार सात दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर उसके आमंत्रण की व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी और उसके स्थान पर गुणानुक्रम में अगले क्रम के आवेदक को आमंत्रित करने का प्राचार्य/पदेन सचिव, जनभागीदारी समिति को अधिकार होगा।

06. विज्ञप्ति की विषय सामग्री में अधिक या पूर्णतः संशोधन का संपूर्ण अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य/पदेन सचिव, जनभागीदारी समिति को रहेगा।

07. आवेदन पत्र मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईट अथवा लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर महाविद्यालय में कार्यालय समय सायं 05 :00 तक प्राप्त हो जाने चाहिये।

08. आवेदन पत्र को आवेदक द्वारा अपने जीवित मोबाईल नम्बर सहित अपना संपूर्ण विवरण समस्त प्रमाणित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आवेदन के साथ समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र अनुभव एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जावे।

09. आवेदन पत्र के लिफाफे पर विषय/पद अनिवार्य रूप से लिखें। चयन के संबंध अंतिम निर्णय जनभागीदारी समिति का होगा।

10. आवेदन करने पर यह माना जायेगा कि आवेदन को इस विज्ञप्ति की समस्त शर्तें मंजूर है।

11. उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर बनाई गई मेरिट सूची सत्र 2026-27 के लिये ही मान्य होगी।

12. उपर्युक्त स्थानीय व्यवस्था मात्र 2026-27 सत्र के लिये है। सत्र के दौरान शासन/जनभागीदारी समिति द्वारा अन्य व्यवस्था होने पर स्वतः समाप्त ही जावेगी।

13. चयनित मानदेय आधारित आवेदकों को किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी व अनुपस्थिति रहने पर मानदेय की पात्रता नहीं रहेगी।